

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 02 अगस्त, 2019

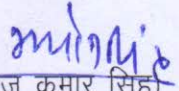
विषय:- सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों के पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/02/31/2018/एफ.सी/241 दिनांक 14.08.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

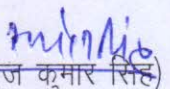
भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट एवं अधीशासी अभियंता, कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी सोनभद्र, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भा०स० द्वारा मांगी गयी सूचना का अविलम्ब निस्तारण कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।